राजस्थान सरकार

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4 (1) (बी) के तहत प्रकाशित सूचना

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

विज्ञप्ति

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा 1 के खण्ड (बी) के अन्तर्गत संलग्न कार्यालय आयुक्त एवं शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज., जयपुर का विभागीय मैन्युअल विभाग में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के तथ्यों एवं कर्मचारियों संबंधी विस्तृत विवरण जन सामान्य को जानकारी हेतु एतद् द्वारा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से इस हस्त पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है।

इस हस्त पुस्तिका की प्रति इस विभाग में एवं 50 जिला कलक्टर एवं सभी सम्भागीय आयुक्त कार्यालयों में जन साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं शासन उप सचिव,
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.04.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में अगस्त 1, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के

उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढ़ांचा **परिशिष्ट–1** में दर्शाया गया है। मुख्यालय पर विभाग के कार्यरत अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–2 पर** दर्शायी गयी है। विभागीय अधिकारियों की डायरेक्टरी, मय उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य, **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध है।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

विभाग के उद्देश्य :–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानो के अन्तर्गत राज्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के उपाय, उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, लोगों का क्षमता संवर्धन करना, आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराना, आदि विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं।

विभाग के मुख्य कार्यः–

मुख्य कार्य :– इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैं:–

(1) राज्य में आपदा से संबंधित विभिन्न विभागों, जिलों व राज्य की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाना व उन्हें अद्यतन करवाना।

(2) राज्य में आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए हर सम्भव आवश्यक कार्यवाही करना।

(3) आपदा प्रबंधन योजना अनुसार संवेदनशील क्षेत्र में नागरिकों, संस्थाओ, कर्मचारियों/अधिकारियो का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता संवर्धन करना।

(4) आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में दीर्घ कालीन योजनाओं द्वारा विकास कार्यों के माध्यम से आधारभूत संरचनाऐं एंव संसाधन विकसित करना।

(5) विभिन्न आपदाओं के परिपेक्ष्य में सभी आवश्यक तैयारियां आपदा सम्भावित क्षेत्र में सुनिश्चित करना ताकि आपदा के समय न्यूनतम जन–धन हानि हो।

(6) आपदा से प्रभावितों को निर्धारित मापदण्डानुसार एवं बजट उपलब्धता के अनुसार सहायता प्रदान करना।

(7) आपदा के समय विभिन्न विभागों में समन्वय का कार्य करना।

सूखा:– राज्य में वर्षा के अभाव के कारण प्रायः अकाल की स्थिति रहती है। वर्षा की कमी/अभाव की स्थिति में भारत सरकार की सूखा संहिता 2016 के अनुसार ट्रीगर–1 व ट्रीगर–2 के बाद ग्राउंड ट्रूथिंग व जिले से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर विभाग के आकलन के आधार पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा अभाव की घोषणा की जाती है। अभाव अवधि में अभावग्रस्त गांवो में विभिन्न राहत गतिविधियां संचालित की जाती है जैसे:–

पशु संरक्षण गतिविधियां :–

1. **पशु शिविरः–** राजकीय संस्था एवं पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से पशुशिविर खोले जाकर लघु एवं सीमान्त काश्तकारों के पशुओं को राहत सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2022 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) के संशोधित मानदण्डों में पशु शिविरों हेतु जिला कलेक्टर्स को आवश्यकंता अनुसार 30 से 90 दिवस की अवधि के लिए अधिकृत किया जाता है। विशेष परिस्थिति में उक्त 90 दिवस अवधि को राज्य कार्यकारी समिति द्वारा इस शर्त पर बढ़ाया जा सकता है कि उक्त व्यवस्था पर होने वाला व्यय एस.डी.आर.एफ. हेतु आवंटित राशि के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

2. **चारा डिपो:–** अभावग्रस्त जिलों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से चारा डिपो संचालित करवाये जाते हैं। पशुपालकों को बिना लाभ बिना हानि के आधार पर चारा वितरण किया जाता है।

3. **पेयजल परिवहन व्यवस्था:–** विभाग द्वारा जिस स्थान पर नजदीक में पेयजल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं है या पेयजल का स्त्रोत बाढ/अकाल के कारण उपयोगी नहीं रह गया है एवं पेयजल की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है, सर्वप्रथम यह प्रयास ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध स्वंय सेवी संस्था/दान दाताओं के

सहयोग से पेयजल परिवहन व्यवस्था कराई जाकर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। यदि स्वयं सेवी संस्थाओं/दान दाताओं के सहयोग की सम्भावना कम/ नगण्य और 1 कि.मी. की परिधि से कोई भी पेयजल स्रोत ना हो विभागीय निर्देशों की अनुपालना PHED द्वारा पेयजल परिवहन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है तथा जिला कलक्टर द्वारा स्थानीय मांग पर टैंकर्स के माध्यम से आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन अभाव अवधि के दौरान केवल अभावग्रस्त क्षेत्रों में कराया जाता है। इस पर होने वाला व्यय राज्य आपदा मोचन निधि मद से वहन किया जाता है।

4. **कृषि आदान् अनुदान** :– प्रभावित पात्र कृषकों को बजट उपलब्धता अनुसार SDRF के मानदण्डों के अनुसार कृषि सहायता प्रदान की जाती है।

5. **अभावघोषणा खरीफ फसल सम्वत 2079** :– राज्य के पाली जिले की पाली तहसील को अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 से अभावग्रस्त घोषित कर कियान्विति आदेश जारी किये गये है।

6. **अभावघोषणा पाला शीतलहर एवं ओलावृष्टि रबी सम्वत 2079**:–रबी सम्वत 2079 में अधिसूचना दिनांक 19.06.2023 में अलवर, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, झुन्झुनु, नागौर एवं सीकर जिलों के 5225 ग्रामों को पाला शीतलहर से तथा रबी सम्वत 2079 में ही अधिसूचना दिनांक 11.08. 2023 में अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, बीकानेर, बून्दी, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, झालावाड़, कोटा, नागौर एवं उदयपुर जिलों के 2588 ग्रामों को ओलावृष्टि से फसलों में खराबा होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

7. **अभावघोषणा खरीफ फसल सम्वत 2079**:– राज्य के बांरा, भरतपुर, बून्दी, धौलपुर, श्रीगंगानगर, झालावाड़, करौली, नागौर, सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, अजमेर एवंउदयपुर जिलों के बाढ़ से 8108 ग्रामों को अधिसूचना कमांकः 1556–78 दिनांक 16.02.2023 व 3070–92 दिनांक 10. 03.2023 से अभावग्रस्त घोषित कर कियान्विति आदेश जारी किये गये है।

8. **अग्नि पीड़ितों को सहायताः–** जिला कलक्टरों को निर्देश हैं कि अग्नि दुर्घटना से होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीड़ितों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जावे।

9. **मानव जनित आपदाः–**

(1) बॉम्ब ब्लास्ट पैकेज पत्र कमांक प.2(17) गृह–5/02 दिनांक 27 अगस्त, 2008 को जारी किया गया।

(2) चामुण्डा देवी मन्दिर मेहरानगढ़, जोधपुर प्रकरण में पैकेज पत्र कमांक एफ 6(5) एसओ/2008/12921 दिनांक 24.10.2008 को जारी किया गया।

(3) उत्तराखण्ड बाढ़ त्रासदी राहत पैकेज कमांक एफ.( ) आ.प्र.एवं सहा. /उत्तराखण्ड राहत पैकेज/2013/11041–91 दिनांक 29.07.2013 को जारी किया गया। उक्त पैकेजों का विवरण विभागीय वैब साईट WWW.dmrelief.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त सुविधा मुख्यमंत्री सहायता कोष से वहन की जा रही है।

10. **बाढ़ :–** राज्य के कुछ हिस्सो में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ की स्थिति उत्पन होने की सम्भावना रहती है। विभाग द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कराए जाते हैं। मानसून के दौरान वैदर वॉच ग्रुप की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर वर्षा पर निगरानी रखी जाती तथा सहायता कार्यो के लिये आपदा राहत कोष के मानदण्डो के अनुसार धनराशि प्रदान की जाती है। बाढ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनरूद्वार के लिये राशि प्रदान की जाती है। इसी सम्बंध में माननीय मंत्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की अध्यक्षता में सम्भावित बाढ़ से बचाव हेतु तैयारियों के सम्बंध में बैठकं आयोजित की जाती है तथा सभी जिला कलेक्टर्स को तैयारियों के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए चैक लिस्ट भी भेजी जाती है, उसी के अनुरूप जिला कलेक्टर्स द्वारा आवश्यक तैयारियां की जाती है और सभी सम्बंधित ऐजेंसियों/विभागों यथा मौसम विभाग, सिंचाई विभाग, जन. स्वा. अभि. विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय, नागरिक सुरक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भारत संचार निगम, डाक एवं तार विभाग,

पुलिस विभाग, सैना, वायुसेना, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आदि को दिशा–निर्देश जारी किये जाते है।

11. **अंधड़/तूफानः–** आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (अधिनियम संख्याक 2005 का 53) की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा तेज आंधी/अंधड़ तूफान जिससे वृहत स्तर पर जान व माल की हानि हो को राज्य की विशेष प्राकृतिक आपदा (State Speific Disaster) के रूप में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1(1) आ.प्र.सहा./ओला./2018/6282–340 दिनांक 17.04.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया। यह अधिसूचना दिनांक 11. 04.18 से प्रभावी है।

आपदाओं से सबंधित नोडल विभाग की सूची (परिशिष्ट–4 पर उपलब्ध है।)

विभाग से संबंधित संस्थाऐं/समितियां :–

1. **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** :– राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राजस्थान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण में अन्य 08 सदस्यों को मनोनीत किया गया है।

   उक्त प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव है तथा शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग इसके सदस्य सचिव है।

2. **राज्य कार्यकारी समिति** :– अधिनियम की धारा 20 की पालना में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा प्राधिकरण के निर्णयों की पालना करवाना, आपदा के निवारण, शमन एंव पूर्व तैयारी हेतु वित्तिय प्रावधान करना आदि मुख्य कार्य किये जाते हैं।

3. **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** :– राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार जिलों मे जिला कलक्टर की अध्यक्षता मे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह समिति अधिनियम के

प्रावधानानुसार जिले में आपदा प्रबंधन के कार्य करती है। महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हेतु ही राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक बुलाई जाती है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के सेक्शन 15 के तहत यह प्रावधान किया गया है।

4. **आपदा प्रबन्धन सूचना तंत्र** :– विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का ऑन लाईन संचालन विभागीय सॉफ्टवेयर एपलिकेशन (DMIS) द्वारा किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत विभाग के विभिन्न कार्य जैसे स्वीकृति जारी करना, बजट आवंटन करना, राहत गतिविधियां की प्रगति आदि शामिल है।

5. **राज्य नियंत्रण कक्ष** :– आपदा प्रबन्धन के लिए आपदाओं से निपटने के लिये एक **राज्य नियंत्रण कक्ष** की स्थापना शासन सचिवालय, जयपुर में की गई है, जहां से आपदाओं के घटित होने की स्थिति में पूर्ण रूप से निगरानी करने की व्यवस्था की गई है। (दूरभाष नम्बर **1070, 2227296, 5110865**) । राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के साथ साथ प्रत्येक जिले एंव तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न आपदाओं हेतु नोडल विभाग निर्धारित कर दिये गये हैं,

विभाग द्वारा क्रियान्वयन किए जाने वाले अधिनियम/नियम एवं निर्देश :–

(1) राजस्थान अफेक्टेड एरियाज अधिनियम,1952
(2) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
(3) आपदा प्रबंधन नियम, 2009
(4) सूखा प्रबंधन संहिता
(5) बाढ़ संहिता
(6) भूकम्प संहिता
(7) एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के प्रावधान
(8) आपदा प्रबंधन एवं सहायता निर्देशिका
(9) राहत कार्य सचांलन के दिशा–निर्देश
(10) राज्य आपदा प्रबन्धन नीति
(11) राज्य आपदा प्रबन्धन योजना
(12) State Platform for Disaster RisK Reduction (SPDRR)
(13) State Guidelines on Minimum Standards of Relief For Victims of Disasters.

वित्तीय प्रावधान :— वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितो को सहायता प्रदान करने के लिए आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत केन्द्र एंव राज्य सरकार से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें केन्द्र का 75 प्रतिशत एंव राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होता है। आपदा राहत निधि में केन्द्र सरकार द्वारा एस.डी.आर.एफ. व एन.डी.आर.एफ. मदों में राशि जारी की जाती है। प्रत्येक वर्ष की निर्धारित सीलिंग अनुसार दो किश्तों में राशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को जारी की जाती है जिसमे राज्य सरकार अपना अंश मिला कर उसे राज्य आपदा मोचन निधि मे वित्त विभाग के माध्यम से समायोजित करती हैं। इस प्रकार निधि में जमा राशि को वित्त विभाग से बजट मद 2245 में बजट प्रावधान स्वीकृत करवाकर विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत एस.डी.आर.एफ. मापदण्डो के अनुसार जिला कलेक्टरों को ऑनलाइन मांग प्राप्त होने पर बजट आंवटन किया जाता है।

राजस्थान राहत कोष :— एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं में खोज एंव बचाव कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005—06 में रूपये 5.00 करोड़ की राशि का प्रावधान करके उक्त कोष का गठन किया गया है। इस कोष का प्रबन्धन/संचालन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित **राज्य स्तरीय समिति** द्वारा किया जाता है। दान दाताओं द्वारा इस कोष में दान स्वरूप अंशदान करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के अंतर्गत छूट देय है।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04.04.2022 में इस कोष की अवधि आगामी 4 वर्ष (दिनॉक 31.03.2026) तक बढ़ाये जाने की अभिशंषा का निर्णय लिया जा चुका है। इस कोष के अन्तर्गत निम्नलिखित आपदाओं को शामिल किया गया है:—

1. मनुष्य, पशु एवं फसलों का महामारी से बचाव।
2. खान में बाढ़ का पानी आना या उसके ढ़हने पर होने वाली आपदा में खोज एवं बचाव का कार्य
3. बहुमंजिले भवनो के ढ़हने, कुए के ढ़हने पर होने वाली आपदा के समय किये जाने वाले खोज एवं बचाव के कार्य

4. मिट्टी एवं चट्टान ढ़ह जाने तथा कुए में जहरीली गैस से उत्पन्न आपदा में खोज एवं बचाव के कार्य

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आपदायें जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा सहायता देने योग्य हों, निर्णीत की जा सकती हैं।

विभाग द्वारा संधारित अभिलेख :– आपदा प्रबंधन एंव सहायता विभाग एंव जिला कलक्टर कार्यालयो में आवश्यकता अनुसार निम्न अभिलेख रखे जाते हैं :–

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के तहत आवंटित राशि से संबंधित अभिलेख।

(2) अभाव घोषणा अन्तर्गत फसल खराबे का अन्तिम प्रतिवेदन भेजने के प्रपत्र/अभिलेख ।

(3) भारत सरकार को भेजे जाने वाले ज्ञापन ।

(4) राशि की आवश्यकता का मांग पत्र ।

(5) अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण रिपोर्ट, मासिक रिपोर्ट ।

(6) अकाल संहिता, बाढ संहिता, भूकम्प संहिता, सहायता निर्देशिका में दिये गये प्रपत्र अभिलेख. ।

(7) स्थापना/भुगतान/बैंठको संबंधी अभिलेख।

(8) प्रगति प्रतिवेदन/आपदा प्रबंधन योजनाऐं आदि ।

(9) आय/व्यय अभिलेख ।

विभाग से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 उपधारा 1 व 2 के तहत प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक प.20(22)प्रसु/सू.अ.प्र./2008 दिनांक 05.05.2011 के द्वारा विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु आयुक्त एवं शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं शासन उप सचिव को राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र कमांक प.11 (1)प्रसु./सूअप्र./2015 दिनांक 05.02.15 के निर्देशों की पालना में माननीय राजस्थान सूचना आयोग में सुनवाई हेतु विभागीय पत्र कमांक एफ.12(1) आप्र. एवं सहा./सूअ./2012/6526–32 दिनांक 22.08.19 के द्वारा इस विभाग के

सहायक शासन सचिव एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग परिपत्रादेश कमांक प. 3(227)प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 16.12.11 एवं माननीय राजस्थान सूचना आयोग में अपील संख्या–1482/2012 के निस्तारण के कम में पारित निर्णय दिनांक 01.05. 2013 की पालना में इस विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं की अद्यतन सूचना प्रशासनिक सुधार (सूअप्र.) विभाग को भिजवायी जाती है।

विभाग के मुख्यालय स्तर पर सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग से सम्पर्क कर आवेदित सूचना का विस्तृत विवरणानुसार निर्धारित फीस जमा कराने के फलस्वरूप नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराई जावेगी। चूँकि विभाग के प्रायः सभी कार्य जिलों के जिला कलक्टर्स के माध्यम से सम्पादित कराये जाते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति अकाल राहत कार्य एवं अन्य आपदा/सहायता से सम्बन्धित सूचना के लिए जिला/उपखण्ड/तहसील स्तर पर भी आवेदन कर सकता है। जैसेः–

वांछित सूचना का प्रकार	सूचना प्राप्त करने की एजेंसी
(i) अकाल राहत कार्यों में नियोजित श्रमिकों के भुगतान आदि प्रकरण	जिला कार्यालय/तहसील/पंचायत समिति/ पी.डब्ल्यू.डी./अन्य विभाग जिसके माध्यम से कार्य कराये/सहायता दी जाती है।
(ii) पशु चारा डिपो/गौशाला, पशु शिविर अनुदान आदि	उपरोक्तानुसार
(iii) अग्नि/अतिवृष्टि/बाढ़/पेयजल व अन्य सहायता सम्बन्धी प्रकरण	उपरोक्तानुसार

वांछित सूचना जिला/तहसील एवं एजेंसी स्तर पर उपलब्ध/समाधान नहीं कराने की स्थिति में प्रथम अपील संबंधित जिला कलक्टर/अपीलेंट अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। प्रथम अपील का निस्तारण/समाधान/संतोषजनक नहीं होने पर द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग में की जा सकती है।

परिशिष्ट—1

Administrative Setup

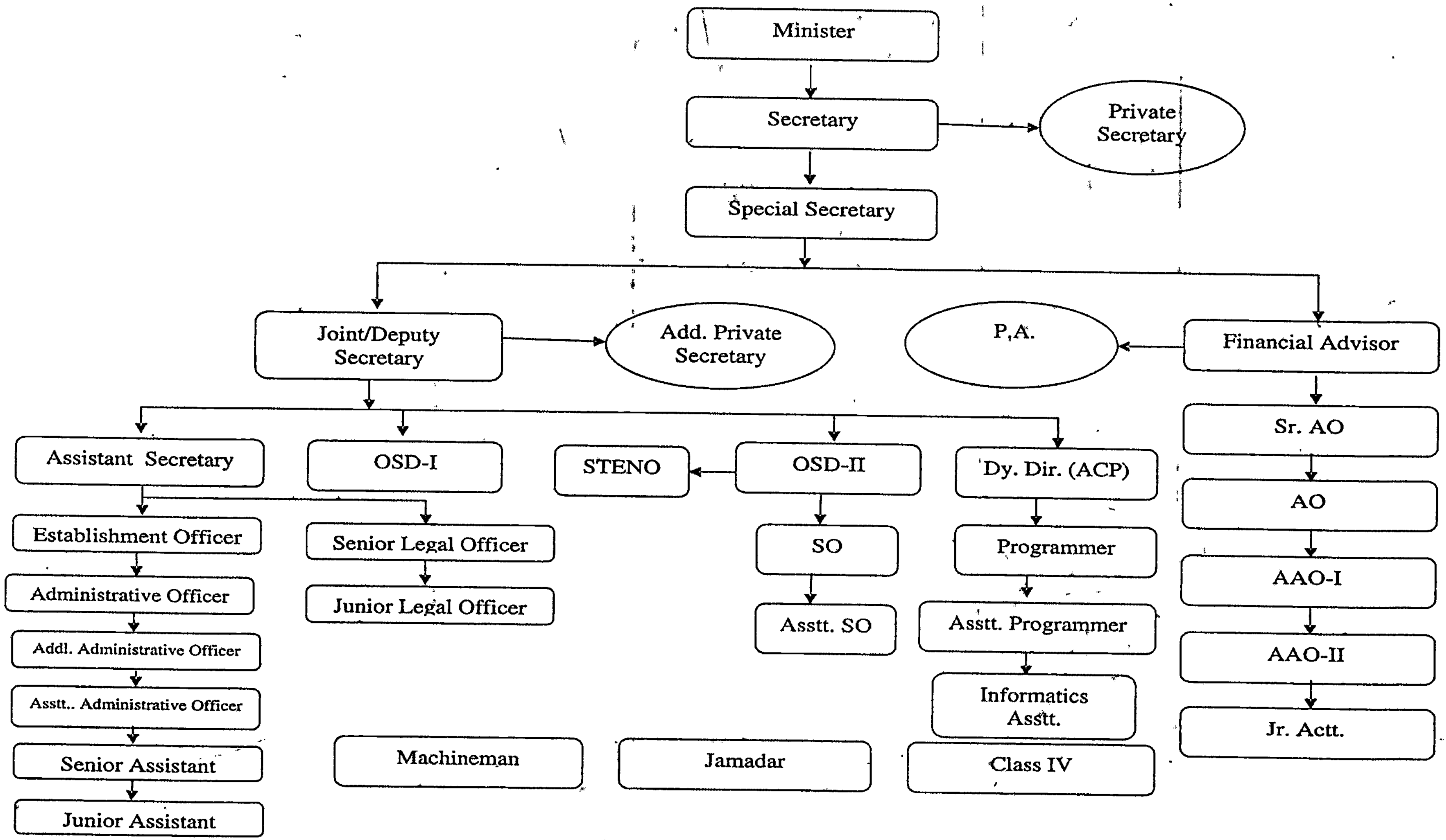

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची (परिशिष्ट–2)

क्र. सं.	पद नाम	नाम अधिकारी	दिनांक से विभाग में कार्यरत
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव	श्री आनन्द कुमार	12.01.2024
2	शासन सचिव	श्री पी.सी. किशन	28.10.2022
3	शासन विशिष्ट सचिव	रिक्त	06.07.2020
4	शासन उप सचिव	जगत राजेश्वर (अतरिक्त चार्ज)	01.08.2023
5	वित्तीय सलाहकार	श्री सुरेश चन्द्र	8.8.2023
6	सहायक आयुक्त एवं सहायक शासन सचिव	रिक्त	5.01.2024
7	विशेषाधिकारी (2)	रिक्त	
		श्री बीरबल मीणा	16.11.2022
8	ऐनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	रिक्त	
9	संस्थापन अधिकारी	घनश्याम मीना	26.12.2023
10	वरिष्ठ लेखाधिकारी	श्रीमती ज्योति नागर	20.10.2022
11	सहायक विधि परामर्शी	श्रीमती शालनी पाण्डेय	25.07.2022
12	लेखाधिकारी	रिक्त	4.1.2021
13	सांख्यिकी अधिकारी	श्री मक्खन लाल	30.8.2022
14	प्रोग्रामर	श्री शिवेन्द्र वार्ष्णेय	03.08.2018
15 16	अति.निजी सचिव(1)	रिक्त	
17	सहायक लेखाधिकारी, प्रथम (2)	श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया	01.04.2016
		रिक्त	
15	प्रशासनिक अधिकारी	श्रीमती मंजू पांचाल	1.04.2023
19	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (4)	श्री सुनील. कुमार वर्मा	12.09.2022
		श्री रामकिशोर	1.04.2023
		श्री बिजेन्द्र सिंह	1.04.2023
		रिक्त	1.04.2023

स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदो की संख्या	वर्तमान में कार्यरत पदो की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	शासन सचिव	01	01	–
2	विशिष्ठ शासन सचिव	01	–	01
3	शासन उप सचिव	01	–	01
4	वित्तीय सलाहकार	01	01	–
5	शासन सहायक सचिव	01	–	01
6	निजी सचिव	01	01	–
7	विशेषाधिकारी	02	01	01
8	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	01	–	01
9	संस्थापन अधिकारी	01	01	–
10	सहायक विधि परामर्शी	01	01	–
11	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01	01	–
12	लेखाधिकारी	01	–	01
13	प्रोग्रामर	01	01	–
14	सांख्यिकी अधिकारी	01	01	–
15	अति. निजी सचिव	01	–	01
16	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	–
17	अति.प्रशासनिक अधिकारी	04	03	01
18	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	06	03	03
19	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	–	01
20	निजी सहायक	01	–	01
21	सहायक लेखाधिकारी – प्रथम	02	01	01
22	सहायक लेखाधिकारी – द्वितीय	05	01	04
23	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	01	–
24	कनिष्ठ लेखाकार	04	03	01
25	शीघ्र लिपिक	02	–	02
26	सहायक प्रोग्रामर	01	01	–
27	वरिष्ठ सहायक	07	07	–
28	सूचना सहायक	02	01	1
29	कनिष्ठ सहायक	07	06	01
30	मशीन मैन	01	01	–
31	जमादार	03	03	–
32	सहायक कर्मचारी	09	05	04
	कुल	**73**	**46**	**27**

आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग बजट मद से जिला मुख्यालय पर स्वीकृत पदो का विवरणः–

क. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदो की संख्या	वर्तमान में कार्यरत पदो की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	27	22	05
	सहा.प्रशासनिक अधिकारी	04	04	–
	वरिष्ठ सहायक	07	07	–
	कनिष्ठ सहायक	22	18	04
	कुल	**60**	**51**	**09**

विभाग से संबंधित प्रकरणों/पत्रावलियों का निस्तारण

<table>
<tr><th>प्रथम निस्तारण जिसके माध्यम से पत्रावली/प्रकरण उच्चस्त को प्रस्तुत करने वाला कर्मचारी</th><th>जिसको प्रकरण/पत्रावली प्रस्तुत की जानी है।</th></tr>
<tr><td>कनिष्ठ सहायक</td><td rowspan="3">अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी</td></tr>
<tr><td>वरिष्ठ सहायक</td></tr>
<tr><td>सहायक प्रशासनिक अधिकारी</td></tr>
<tr><td>अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी</td><td rowspan="2">संस्थापन अधिकारी</td></tr>
<tr><td>प्रशासनिक अधिकारी</td></tr>
<tr><td rowspan="3">संस्थापन अधिकारी</td><td>सहायक शासन सचिव</td></tr>
<tr><td>विशेषाधिकारी–प्रथम</td></tr>
<tr><td>विशेषाधिकारी–प्रथम</td></tr>
<tr><td>सहायक शासन सचिव</td><td rowspan="3">शासन उप सचिव</td></tr>
<tr><td>विशेषाधिकारी–प्रथम</td></tr>
<tr><td>विशेषाधिकारी–प्रथम</td></tr>
<tr><td>शासन उप सचिव</td><td>शासन सचिव</td></tr>
<tr><td>शासन सचिव</td><td>अतिरिक्त मुख्य सचिव</td></tr>
<tr><td>कनिष्ठ लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी–II</td><td>सहायक लेखाधिकारी–I</td></tr>
<tr><td>सहायक लेखाधिकारी–I</td><td>लेखाधिकारी</td></tr>
<tr><td>लेखाधिकारी</td><td>वरिष्ठ लेखाधिकारी</td></tr>
<tr><td>वरिष्ठ लेखाधिकारी</td><td>वित्तीय सलाहकार</td></tr>
<tr><td>वित्तीय सलाहकार</td><td>शासन सचिव</td></tr>
<tr><td>शासन सचिव</td><td>अतिरिक्त मुख्य सचिव</td></tr>
</table>

परिशिष्ट–3

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित कार्य विवरण

क्र. सं.	अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम	सम्पादित कार्यों का विवरण	टेलीफोन नम्बर
1	शासन उप सचिव (रिक्त पद) श्री जगत राजेश्वर (अतिरिक्त चार्ज)	(1) सहायक शासन सचिव, विशेषाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय से सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन (2) कार्यालयध्यक्ष से सम्बन्धित कार्य (3) विभागीय लोक सूचना अधिकारी सम्बंधित कार्य (4) नितीगत निर्णय से संबंधित कार्य	25128/ 2227985 7220000001
2	श्री सुरेश चन्द्र वित्तीय सलाहकार	(1) लेखा एवं बजट से सम्बन्धित समस्त कार्य	25126/2227102 8306559773
3	शासन सहायक सचिव (रिक्त पद) श्री मक्खन लाल, सांख्यिकी अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	(1) स्टोर शाखा (2) चारा शाखा (3) भारत सरकार से पत्राचार (4) लिटिगेशन (5) बाढ़/चक्रवात शाखा (6) अनुग्रह सहायता, कृषि आदान अनुदान (7) ओलावृष्टि शाखा (8) समस्त प्रकार के पैकेजों का कार्य (9) आर.टी.आई. (11) विविध पत्र एवं शेष रहे समस्त कार्य (12) कैश शाखा	25132/2227084 9799075674
4.	विशेषाधिकारी प्रथम (रिक्त पद) श्री मक्खन लाल, सांख्यिकी अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	(1) प्रशिक्षण शाखा (2) आपदा प्रबन्धन शाखा का समस्त कार्य (3) राजस्थान राहत कोष (4) अग्नि/आकाशीय बिजली (5) भूकम्प	9799075674
5	श्री बीरबल मीणा विशेषाधिकारी द्वितीय	1. विधान सभा/लोकसभा/राज्य सभा से संबंधित समस्त कार्य 2. कश्मिरी विस्थापित शाखा 3. सामान्य शाखा 4. भारत सरकार को भिजवाये जाने वाले ज्ञापन तैयार करवाने का कार्य	8529265874
6	श्री घनश्याम मीना, संस्थापन अधिकारी	कार्यालय का सुपरवीजन एवं विभागीय समस्त शाखाओं की पत्रावलियां उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना।	9413417961
7	श्रीमती शालनी पाण्ड्ेय, वरिष्ठ विधि अधिकारी	लिटिगेशन संबंधि कार्य	6378099243

8	श्रीमती ज्योति नागर वरिष्ठ लेखाधिकारी	1. समस्त बजट आवंटन संबंधी पत्रावलियों पर टिप्पणी एवं बजट आवंटन कार्य 2. उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित कार्य 3. बीएफसी, आधिक्य/बचत, प्लान मद की बैठक संबंधित कार्य।	8890645969
9	लेखाधिकारी (रिक्त पद) श्रीमती ज्योति नागर वरिष्ठ लेखाधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	1. विभिन्न विभागीय पत्रावलियों पर नियमों संबंधित टिप्पणी देना 2. महालेखाकार/जांच /सीएजी/पीएसी आदि से संबंधित समस्त कार्य। 3. नागरिक सुरक्षा विभाग की समस्त पत्रावलिया। 4. अन्य निर्देशित कार्य	8890645969
10	श्री मक्खन लाल, सांख्यिकी अधिकारी,	1.सांख्यिकी शाखा से सम्बन्धित समस्त कार्य 2. बजट भाषण, राज्यपाल अभिभाषण, प्रशासनिक प्रतिवेतदन तैयार करने का कार्य	9799075674
11	श्री शिवेन्द्र वार्ष्णेय, प्रोग्रामर एवं श्री विमल प्रकाश परेवा, सहायक प्रोग्रामर	(1) सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर सम्बन्धित समस्त कार्य (2) विभागीय विन्डो एप्लीकेशन के मोनिटरिंग का कार्य (3) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, मोनिटरिंग शाखा, सीएमआईएस	9001632707 9782993674
12	सुश्री श्वेता कटारा, निजी सहायक	अति. निजी सचिव, शासन उप सचिव	8905930281
13	श्रीमती मंजू पांचाल, प्रशासनिक अधिकारी	अग्नि/लू-ताप शाखा/शिकायत शाखा /आकाशीय बिजली	9414278737
14	श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया सहायक लेखाधिकारी- I	1. बीएफसी, आधिक्य/बचत, प्लान मद की बैठक से संबंधित कार्य। 2. भारत सरकार एवं वित्त विभाग कसे पत्राचार संबंधी सभी कार्य। 3. भारत सरकार से एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की प्राप्तियों संबंधी कार्य। 4. राशि के निधि में/निधि से ट्रेजरी, अन्तरण संबंधी प्रविष्टियां जारी करना। आवश्यकतानुसार बजट पुनर्वियोजन, डीडीओं पावर एवं अन्य विभागों के पीडी खाते में आवंटन 5. एसडीएमए/एईसी की पालना में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में बजट मद एवं बजट उफ्लब्ध कराना।	9928286494
15	श्री सुभाष धामनिया, सहायक लेखाधिकारी-I	1. जिलों में भारत सरकार द्वारा चाही जाने वाली मासिक सूचना की मोनिटरिंग। 2. जिलों के अंकेक्षण संबंधित समस्त प्रकरणों एवं तदविषवक मासिक सूचना की मानिटिरिंग।	9829771477

		3. उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर प्रेषित करना। 4. बजट मद 2245–02 कृषि आदान अनुदान, बाढ़, क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों आदि का नुकसान, कोविड–19, अन्य बजट आवंटन का कार्य, रिकॉर्ड व रिपोर्ट संधारण।	
16	श्री जयनारायण मीणा सहायक लेखाधिकारी–II	1. भुगतान शाखा एवं स्टोर संबंधित कार्य। 2. ऐ.सी./डी.सी. बिल संबंधित समस्त कार्य 3. ए.सी./डी.सी. बिलों की नियमित समीक्षा। 4. उपर्युक्त कार्यो से संबंधित समस्त पत्रावलियों का संधारण। 5. अन्य निर्देशित आवश्यक कार्य। 6.अंकल मिलान, ऑडिट कमेटी, राजस्थान राहत कोष व विभागीय आन्तरिक जांच, चोरी गबन प्रकरण	8005715598
17	श्रीमती नीतू व्यास, सहायक लेखाधिकारी–II	1. बजट मद 2245–01 एवं 2245–80 का समस्त कार्य। 2. अन्य निर्देशित कार्य। 3. महालेखाकार एवं आंतरिक जांच प्रतिवेदनों की अनुपालना	9680191748
18	श्रीमती रितु परिहार, सहायक लेखाधिकारी–II	1. आर.टी.आई.एवं विधान सभा प्रश्नों की पत्रावलियों का परीक्षण करना। 2. बाढ़/अतिवृष्टि से फसल खराबे पर कृषि आदान अनुदान हेतु बजट आवंटित का कार्य 3. एसजी पीएसी प्रतिवेदनों व विशेष जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही	9413237360
19	श्री सुनिल कुमार वर्मा, अति. प्रशासनिक अधिकारी	स्टोर शाखा/एसडीएमए/एसईसी बैठक	7240293533
20	श्री रामकिशोर, अति. प्रशासनिक अधिकारी	ओलावृष्टि, अधड़/तुफान/पाला शीतलहर एवं चकवात शाखा	9672755240
21	श्री विजेन्द्र सिंह, अति. प्रशासनिक अधिकारी	विधान सभा/लोकसभा/राज्य सभा से संबंधित समस्त कार्य	9829203400
22	श्री गजानन्द दरिया, सहायक सांख्यिकी अधिकारी	सांख्यिकी शाखा का कार्य	6350170796
21	श्री सुरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	स्थापना शाखा का समस्त कार्य	8107448607
22	श्री नवीन कुमार जाजौरिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	सूचना का अधिकार/पैपरकटिंग/कश्मीर विस्थापितो का कार्य/ फैक्स/	9587921077
23	श्री सुनील निर्वाण, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	कैशियर/एफवीसी बिलों का कार्य /पीएम केयर फण्ड	7425964282
24	श्री विमल प्रकाश परेवा, सूचना सहायक	कम्प्यूटर संबंधी कार्य	9782993674
25	श्री पदमसिंह परमार, सूचना सहायक	ई–मेल/कम्प्यूटर संबंधी कार्य	9610286986

26	सुश्री श्वेता कटारा, निजी सहायक–II	शासन उप सचिव के अतिरिक्त निजी सचिव का कार्य	8905930281
30	श्री श्रीकृष्ण यादव, वरिष्ठ सहायक	अनुग्रह सहायता/भारत सरकार से पत्राचार/ सामान्य शाखा का समस्त कार्य/अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त पत्रों का निस्तारण	9667283790
31	श्रीमती आरती कुमावत, वरिष्ठ सहायक	रिकॉर्ड/टिड्डी आक्रमण/भूकम्प/विविध एवं राजस्थान राहत कोष	6350033190
32	श्री कालूराम मीणा, वरिष्ठ सहायक	प्रशिक्षण शाखा	9680698891
33	श्री महेश शर्मा, कनिष्ठ सहायक	राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल, मोनिटरिंग शाखा/सीएमआईएस	8952820577
34	श्री रवि प्रकाश बागड़ा, वरिष्ठ सहायक	आपदा प्रबंधन शाखा	9079956235
38	श्री राजेश कुमार निनामा, कनिष्ठ सहायक	लिटिगेशन एवं चारा/पेयजल/पशु संरक्षण गतिविधियां	9785517669
39	श्री हनुमान सिंह, वरिष्ठ सहायक	बाढ शाखा	9462365828
40	श्री निरंजन परिहार, कनिष्ठ सहायक	आवक शाखा एवं जावक शाखा/ पैकेज शाखा	9929578888
41	श्री सुनिल कुमार मीणा, कनिष्ठ सहायक	विधान सभा शाखा सहायक	8005970777
42	श्री जयराम नायक, मशीनमैन	फोटो कॉपी कार्य	9660545199
43	च0श्रे0कर्मचारी 1. श्रवणलाल शर्मा, जमादार 2. मोहम्मद इस्माईल, जमादार 3. श्री अहसान खान, जमादार 4. श्री देवनारायण, 5. श्री श्याम सुन्दर 6. श्रीमति सुमित्रा शर्मा 7. श्रीमती मधुबाला मीणा 8. राज मीणा	कार्यालय कार्यो में सहयोग	93149657709 – 8290669641 9785189222 9928851094 75689852321 9950421731

परिशिष्ट–4

s.n.	Name of Nodal Department	Related Disaster
1	Disaster Management & Relief	Drought, Hailstorms. Heat & Cold Wave. Thunder & Lighting Cyclones. Landslides & Mudflows
2	Energy	Disaster involving power generation/distribution/transmission
3	Home	Terrorist attack Bomb Blast, Police Mutiny, Major Law & Order Crisis. Nuclear disaster, Air, Road and Rail accident, Festival related disaster, Oil Spill.
4	Water Resources	Flood and drainage Management, Dam bursts & Cloud bursts
5	PWD	Earthquake, Major Building Collapse
6	Mines	Mine Fire and Mine Flooding
7	Industries	Chemical & Industrial disasters
8	UDH	Urban Fires
9	Revenue	Village Fire and boat Capsizing
10	Forests	Forest fire
11	Medical & Health	Biological and Epidemic, Food Poisoning
12	Agriculture	Pest attack
13	Animal Husbandry	Cattle Epidemic